



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकड़ा

दिनांक 12.11.24

थाना खेकड़ा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 384/24 धारा 74 बीएनएस व मु0अ0सं0 385/24 धारा 74 बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार

।

### कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 384/24 धारा 74 बीएनएस व मु0अ0सं0 385/24 धारा 74 बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सागर पुत्र राजेश निवासी ग्राम बसी थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1-म0उ0नि0 शीतल सिंह थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

2.का0 607 कपिल देव कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना दोघट

दिनांक:-12.11.2024

थाना दोघट पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 312/2024 धारा 305(A) बीएनएस 2023 का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी किये हुए तार के कटे हुए 11 टुकड़े तथा घटना में प्रयुक्त 01 प्लास, 01 हथौडा, 01 छैनी, 01 बलकटी बरामद ।

### संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 12.11.2024 को थाना दोघट पर वादी प्रवेन्द्र पुत्र हरवीर सिंह निवासी ग्राम गांगनौली थाना दोघट जनपद बागपत ने सूचना दी कि दिनांक 09.11.2024 की रात्रि को किसी अज्ञात चोर द्वारा वादी की ट्यूबवेलों से 03 मीटर केविल व कटआउट व 1.अशोक पुत्र रगवीर की ट्यूबवेलों से 4 मीटर केविल 2.जयपाल पुत्र अमन सिंह की ट्यूबवेलों से 2.5 मीटर केविल 3.जोगेन्द्र पुत्र हरपाल सिंह की ट्यूबवेलों से 3 मीटर केविल 4.विजेन्द्र पुत्र बुद्ध सिंह के ट्यूबवेलों से 3 मीटर केविल चोरी कर लिया गया है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना दोघट पर मु0अ0सं0 312/2024 धारा 305(A) बीएनएस 2023 पंजीकृत किया गया।



## कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरो/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 312/2024 धारा 305(A) बीएनएस 2023 का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से तार के कटे हुए 11 टुकड़े तथा घटना में प्रयुक्त 01 प्लास, 01 हथौडा, 01 छैनी, 01 बलकटी बरामद हुई है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना दोघट पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

## गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

हिमांशु पुत्र सतेन्द्र निवासी पट्टी मैनमाना कस्बा टीकरी थाना दोघट जनपद बागपत ।

## बरामदगी का विवरण-

- तार के कटे हुए 11 टुकड़े।
- 01 प्लास।
- 01 हथौडा।
- 01 छैनी।
- 01 बलकटी।



## गिरफ्तार अभियुक्त हिमांशु पुत्र सतेन्द्र का आपराधिक इतिहास:-

- 1-मु0अ0सं0 792/2018 धारा 392/411 थाना बुढाना जनपद मुजफ्फरनगर।
- 2-मु0अ0सं0 103/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना दोघट जनपद बागपत।
3. मु0अ0सं0 184/20 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना दोघट जनपद बागपत।
4. मु0अ0सं0 1004/18 धारा 395/412 भादवि थाना शामली जनपद शामली।

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उ0नि0 विपिन कुमार गौतम थाना दोघट जनपद बागपत।
- 2.उ0न0 प्रान्शु राजपूत थाना दोघट जनपद बागपत।
3. है0का0 188 सुबोध कुमार थाना दोघट जनपद बागपत।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 12.11.2024

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 301/24 धारा 191(2)/191(3)/115(2)/352/351(2)/109 बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 फावड़ा बरामद ।

### संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 5.11.2024 को थाना सिंघावली अहीर पर वादी राम पुत्र फूलचन्द निवासी ग्राम डौला थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत हाल निवासी उत्तरांचल कालोनी लोनी बार्डर जनपद गाजियाबाद ने सूचना दी कि अभियुक्तों 1- श्रीओम पुत्र फूलचन्द, 2- नितिन कुमार पुत्र श्रीओम, 3-नीशु पुत्र श्रीओम, 4-कृष्ण कुमार पुत्र फूलचन्द व 01 महिला निवासीगण ग्राम डौला थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत द्वारा वादी के खेत पर वादी की पत्नी व वादी की भाभी के साथ गाली-गलौज करते हुए सरिया, फावड़े, चाकू, लाठी-डंडे आदि से हमला कर



दिया । जिसमें अभियुक्त नितिन द्वारा वादी की पत्नी की आँख पर चाकू से वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया तथा अभियुक्त कृष्ण कुमार द्वारा वादी की भाभी के सिर में फावड़ा मार दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गयी जिसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गयी । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 301/24 धारा 301/24 धारा 191(2)/191(3)/115(2)/352/351(2)/109 बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

## कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधो की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 301/24 धारा 301/24 धारा 191(2)/191(3)/115(2)/352/351(2)/109 बीएनएस में 01 वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 फावड़ा बरामद हुआ है।

नोट- उपरोक्त अभियोग में विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्य के आधार पर धारा 103(1) की वृद्धि की गयी है।

## गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

कृष्ण कुमार पुत्र फूलचन्द निवासी ग्राम डौला थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

## बरामदगी का विवरण-

- घटना में प्रयुक्त 01 फावड़ा ।

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-प्र0नि0 श्री शिवदत्त थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 2.उ0नि0 श्री प्रियवर्त आर्य थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 3.है0का0 439 कुलदीप सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 4.का0 406 रविन्द्र भाटी थाना थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 5.का0 395 ललित कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 12.11.24

**थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।**

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम व वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



### गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त का नाम व पता-

पंकज उर्फ पम्पी पुत्र रोशन निवासी ग्राम हजूरबाद गढी थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री दिग्विजय सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

2-का0 395 ललित रौशा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।